राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज

महेश ......बनाम...... राज्य सरकार

मु.नं.– 06/26 किस्म – धारा 128 LRAct

27/3/26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.4.26 को पेश हो।

17.04.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र धारा 128 LR Act पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। प्रा.पत्र का, पत्रावली, तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट, विवादित आराजियात की प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रार्थिया का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
06/2026	03.02.2026	17.04.2026

बउनवान

1. महेश कुमार मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना, निवासी झूँथाहेड़ा कलां, तह. बैजूपाड़ा दौसा।

2. गुलबाई मीना पत्नी रामजीलाल मीना, निवासी झूँथाहेड़ा कलां, तह. बैजूपाड़ा, दौसा।

3. मांगी लाल मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना, निवासी झूँथाहेड़ा कलां, तह. बैजूपाड़ा, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण– श्री लक्ष्मीनारायण मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत
धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की विवादित भूमि खाता संख्या नया 37, पुराना 38 के खसरा नम्बर 640, 642, 669, 670, कुल किता 4, कुल रकबा 1.15 हैक्टे. ग्राम झूथाहेडा खुर्द, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में है। उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा है। भुमि मुतदाविया को प्रार्थीगण ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार मौके पर बांट रखी है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से व अधिकारात की भूमि पर काबिज होकर काश्त करके लाभान्वित होते चले आ रहे है लेकिन भूमि मुतदाविया पड़ोसी खातेदारान से हमेशा सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी को लेकर प्रार्थीगण से झगडा व आमादा फिसाद होते रहते है। इसलिये भूमि मुतदाविया का प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का मौके पर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। दिनांक 14.07.2007 को प्रार्थीगण ने भूमि मुतदाविया का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये जाने के लिये अप्रार्थी के यहां पर प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी के आदेश क्रमांक 25 दिनांक 28.12.2007 की पालना में भूमि खसरा नम्बर 642 के मौके पर पहुँचे। मौके पर प्रार्थना पत्र देहन्दा प्रार्थी रामजीलाल व उनके पडोसी काश्तकारान उपस्थित हुए। मौके पर जांच कर पुख्ता निशान आराजी खसरा नम्बर 670 गैर मुमकिन चाह से जरीब चलाई गयी। पुख्ता निशान से खसरा नम्बर 642 के दक्षिणी कोने जरीब उत्तर दिशा की तरफ चलाई गयी जिसमें 3 ज़रीब पर उत्तर दिशा में निशान कायम कराया। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की तरफ 4 जरीब एक गठा जरीब चला कर निशान कायम किया गया तथा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को सीमाज्ञान कराया जाकर मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी बैजूपाडा व अन्य राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बनायी गयी व मौके पर निशानात कायम किये गये जिस पर पडौसी काश्तकारान से मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने को कहा तो हस्ताक्षर करने से

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

मना कर दिया तथा धमकी दी कि हम भूमि मुतदाविया का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं करवायेगे तथा प्रार्थीगण को उनकी भूमि से बेदखल कर भूमि पर जबरन अतिक्रमण करके बेदखल करके रहेगे। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात के सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिये सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाने के कानूनन हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा नजर नही आया। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि ग्राम झूथाहेडा खुर्द, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित है। इसलिये प्रार्थना पत्र की सुनवायी का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र नियत कोर्ट फीस पर पेश है। अत: निवेदन है कि अप्रार्थी को इस अमर से आदेशित किया जावे कि वे प्रार्थीगण की उक्त विवादित भूमि का प्रार्थीगण के हिस्से का सीमाज्ञान किया जाकर मय पुलिस इमराद के पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें जिससे मौके पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो सकें व स्थायी समाधान हो सकें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के सम्बन्ध में तहसीलदार बैजूपाडा की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनाक 18.02.2026 के अनुसार, उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे महेश कुमार मांगीलाल पि. रामजीलाल गुलाब बाई पत्नि रामजीलाल जाति मीना सा. झूथाहेडाखुर्द संयुक्त खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित भूमि में से केवल आराजी खसरा सं. 642 रकबा 0.40 हैक्टे. भूमि का वादी द्वारा दिनांक 28.12.2007 को सीमाज्ञान करवा लिया गया है। उक्त विवादित भूमि पर वादी खातेदार का कब्जा काश्त है। यह है कि मुताबिक रिपोर्ट उपरोक्त आराजीयात पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। वादी के द्वारा दिनांक 28.12.2007 को सीमाजान करवाया जाना अंकित किया गया है जिसका रिकॉर्ड ना तो पटवारी हल्का के पास उपलब्ध है ना ही कार्यालय हाजा में उपलब्ध है।

3. पत्रावली, तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट, विवादित आराजीयात की प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार, ग्राम झूथाहेडाखुर्द, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा मे स्थित आराजी खसरा सं. 640, 642, 669, 670, कुल किता 4, कुल रकबा 1.15 हैक्टे. के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम झूथाहेडाखुर्द, पटवार हल्का बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 640, 642, 669, 670, कुल किता 4, कुल रकबा 1.15 हैक्टे. के लिये सीमाज्ञान तथा पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक बैजूपाडा को रूपये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
प्रार्थना पत्र सं. 06/2026 **GCMS No.2026/24**
महेश कुमार वगै. बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक 17.04.2026

1500/— फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक बैजूपाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

5 निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)